



## प्रेस नोट

### सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 17.07.2024

- ❖ अपराध नियंत्रण की दिशा में कानपुर देहात पुलिस को मिली एक और सफलता।
- ❖ थाना रनियाँ पुलिस द्वारा 01 बकरी व 02 बकरों को चोरी करने वाले 03 नफर अभियुक्तों को चोरी की गयी बकरी व बकरों के बेचने से प्राप्त 8000/-रुपयों व परिवहन करने वाले ऑटो के साथ किया गया, गिरफ्तार।

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में चोरी की घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 15/16.07.2024 की रात्रि को थाना रनियाँ क्षेत्र से चोरी की गयी 01 बकरी व 02 बकरों के सम्बन्ध में थाना रनियाँ पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 17.07.2024 को समय 00.05 बजे थाना क्षेत्र रनियाँ से राजेन्द्रा चौराहा के पास से 03 नफर अभियुक्तों 1. पवन सिंह पुत्र अजय सिंह निवासी कुरियनपुरवा थाना रनियाँ जनपद कानपुर देहात 2. अरुण कुमार उर्फ अंकल पुत्र रामचन्द्र निवासी कुरियनपुरवा थाना रनियाँ जनपद कानपुर देहात 3. अनिल कुमार पुत्र लल्ला सिंह निवासी कुरियनपुरवा थाना रनियाँ जनपद कानपुर देहात को बकरी व बकरों के बेचने से प्राप्त 8000/- रुपयों व परिवहन करने वाले ऑटो के साथ गिरफ्तार किया गया व 01 अन्य अभियुक्त करन भाग गया जिसकी तलाश की जा रही है। इस सम्बन्ध में रनियाँ पर मु0अ0सं0 150/2024 धारा 303(2)/317(2) भारतीय न्याय संहिता पंजीकृत किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

### **गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –**

- 1- पवन सिंह पुत्र अजय सिंह निवासी कुरियनपुरवा थाना रनियाँ जनपद कानपुर देहात ।
- 2- अरुण कुमार उर्फ अंकल पुत्र रामचन्द्र निवासी कुरियनपुरवा थाना रनियाँ जनपद कानपुर देहात ।
- 3- अनिल कुमार पुत्र लल्ला सिंह निवासी कुरियनपुरवा थाना रनियाँ जनपद कानपुर देहात ।

### **अभियुक्त पवन का आपराधिक इतिहास-**

1- मु0अ0सं0 81/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना रनियां जनपद कानपुर देहात ।

### **अभियुक्त अरुण कुमार उर्फ अंकल का आपराधिक इतिहास-**

1- मु0अ0सं0 841/2021 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात ।

### **गिरफ्तार करने वाली थाना रनियां पुलिस टीम-**

- 1- उ0नि0 श्री मोहित वर्मा
- 2- का0 651 संदीप कुमार
- 3- का0 961 दीपक खारी